प्रेस नोट दिनांक-31.01.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 01 हत्यारोपी को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी आजीवन कारावास की सजा तथा 5,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में थाना भरथना व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते 01 हत्यारोपी को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी तथा 5,000/- रूपये का अर्थदंड दिया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 31.07.2013 को वादी सत्य सिंह पुत्र मैकुलाल ग्राम बूढा भरथना द्वारा थाना भरथना पर तहरीर दी गयी कि उससे जबरदस्ती खेतों में काम कराने को मना करने पर विपक्षियों द्वारा गाली-गलौच की गयी तथा फायरिंग कर उसकी पुत्री की हत्या कर दी गयी। तहरीर के आधार पर थाना भरथना पर मु0अ0सं0 318/13 धारा 147/148/149/302/504 भादवि व 3(2)5 SC/ST एक्ट पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी क्षेत्राधिकारी चकरनगर द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त रमेश चन्द्र पुत्र इतवारी लाल निवासी जुगपुरा थाना भरथना के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना भरथना पुलिस टीम पैरोकार का0 तरुण प्रताप एवं मानीटरिंग सैल व ए0डी0जी0सी0 रमाकान्त चतुर्वेदी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी।जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को आज दिनांक 31.01.2024 को अन्तर्गत धारा 302 भादवि व 3(2)5 SC/ST एक्ट में मा0 न्यायालय स्पेशल जज SC/ST एक्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी तथा 5,000/- रूपये का अर्थदंड दिया गया।

सजायाफ्ता अपराधी-

1. रमेश चन्द्र पुत्र इतवारी लाल निवासी जुगपुरा थाना भरथना जनपद इटावा ।